संभागायुक्त ने 20 करोड़ के घोटाले के मामले में मुख्य अभियंता से मांगा तथ्यात्मक प्रतिवेदन

सतना,। बीते एक साल में भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के मामले में सुर्खियों में रहे लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की मुसीबत थमती नजर नहीं आ रही है। विधानसभा में करोड़ों का घोटाला गूंजने व रीवा परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता द्वारा 20 करोड़ के घोटाले को स्वीकार करने के बाद अब संभागायुक्त ने मुख्य अभियंता से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा है। कार्रवाई के साथ मांगे ए तथ्यात्मक प्रतिवेदन के बाद सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया जिला स्थित लोक निर्माण विभाग कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों में खलबली मच गई है। इधर हवाई पट्टी निर्माण में हुए भ्रष्टाचार के मामले में ठेकेदार का लायसेंस निलंबित करने के साथ ही एयरस्ट्रिप के मरम्मतीकरण के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में भी कार्यपालन यंत्री, एसडीओ व उपयंत्री की गर्दन फंसी हुई है। गा. रतलब है कि इन मामलों को मऊगंज विधायक प्रदीप पटैल, मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी व चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने विधानसभा में उठाया था। विधानसभा में इस माले की गूंज के बाद संभाग के लोक निर्माण विभाग कार्यालयों में निर्माण व मेंटिनेंस कार्यों में हुए करोड़ों के मामले की तस्वीर उस वक्त बदल गई जब रीवा परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता एमके नायक ने आठ मार्च को प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल को प्रेषित पत्र क्रमांक 5225/स्था. /ध्यानाकर्षण/2021-22 जारी करते हुए स्वीकार किया कि प्रभारी अधीक्षण यंत्री चौके झा द्वारा वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक लगभग 20.20 करोड़ के भुगतान में अनियमितता बरती गई है। नियम विरुद्ध व अधिकार क्षेत्र में न होते हुए भी यह भुगतान जेसीबी, ट्रैक्टर ट्राली, डंपर, रोलर, ग्रेडर जैसी मशीनरियों के किराए की आड़ में भुगतान की गई। मुख्य अभियंता ने चौके झा के आचरण को मप्र सिविल सेवा नियम 1965 के आचरण अनुशासन नियम तीन का सपष्ट उल्लंघन एवं कार्य विभाग मैन्युअल द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परिशिष्ट 1.24 के प्रतिकूल मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की थी। इस मामले को संजदीगी से लेते हुए कार्यालय कमिश्नर रीवा संभाग से मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग को जारी पत्र क्रमांक एक/शिका/एफ-01/2022 जारी कर 15 दिवस के भीतर अभिमत सहित तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा था, जो अब तक नहीं दिया गया है। आर्थिक अनियमितताओं में घिरे अधीक्षण यंत्री चौके झा के मामले में आखिर कमिश्नर के निर्देश के बावजूद आखिर तथ्यात्मक प्रतिवेदन क्यें नहीं दिया जा रहा है। बताया जाता है कि इस मामले में रीवा परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता पर भारी दबाव है क्योंकि यह मामला केवल अधीक्षण यंत्री चौके झा का नहीं है बल्कि इससे सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली व उमरिया जिले में वर्ष 2016 से 2021 के बीच पदस्थ अधिकारियों की गर्दन फांस रही है। चूंकि तरीबन 50 करोड़ की धांधली के लगाए गए आरोपों में से 20.50 करोड़ के आरोप को मुख्य अभियंता ने स्वीकार किया है ऐसे में करोड़ों की राशि का गोलमाल करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। बैठक के दौरान मुख्य अभियंता ने उच्चाधिकारियों को इस बात से अवगत कराया कि ठेकेदार के पंजीयन निलंबन के साथ-साथ कार्यपालन यंत्री, अनुविभागीय अधिकारी एवं उपयंत्री के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई पृथक से प्रचलन में है लेकिन तत्कालीन कार्यपालन यंत्री चौके विश्वपकर्मा सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो इसी मामले में एक अन्य आरोपी उपयंत्री एके निगम इस मामले में निलंबित होकर बहाल हो चुके हैं। अब केवल अनुविभागीय अधिकारी बृजेश सिंह ही ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल यह है कि क्या विभाग संविदाकार व संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई आर्थिक अनियमितताओं पर एक्शन लेकर इनमें खुर्द-बुर्द की गई राशि बरामद कर पाएगा? मार्च को जारी पत्र में कार्य की गुणवत्ता ठीक न होने के आरोप प्रमाणित होने के बाद यह कार्रवाई की है। इस कार. वाई से एक बड़ा सवाल यह भी उठ खड़ा हुआ है कि संविदाकार पर तो कार्रवाई की गई है लेकिन उन अधिकारियों पर क्या जिन्होंने कमीशन की फसल काटी और विभाग को लाखों रुपए खुर्द-बुर्द कर दिए। हवाई पट्टी में हुए भ्रष्टाचार का मामला बड़ा रोचक है। बीते दिनों 13 अप्रैल को बैठक हुई जिसमें प्रमुख सचिव लोक निर्माण भोपाल नीरज मंडलोई, प्रमुख अभियंता पीडब्ल्यूडी भोपाल नरेंद्र कुमार, अध ीक्षण यंत्री भोपाल एन सिद्दीकी, कार्यपालन यंत्री सतना मनोज कुमार द्विवेदी व संविदाकार स्वप्निल सिंह के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि ठेकेदार स्वप्निल सिंह को 18 नवम्बर 2019 को 427.41 लाख का कांट्रेक्ट दिया गया जिसे छह माह यानि 20 मई 2020 को पूरा करना था। करारनामे के क्लाज 18 के अनुसार कार्य की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड पाँच वर्ष निर्धारित की गई थी। बैठक में संविदक. ार की ओर से पक्ष रखा गया कि चौथे रनिंग बिल के अंतिम देयक 63.29 लाख रुपए का भुगतान विभाग द्वारा रोक दिया गया जिसके चलते सड़क्षवदाकार डिफैक्ट लायबिलिटी का दायित्व निर्वहन नहीं कर सका। बैठक में यह तथ्य सामने आने पर उच्चाधिकारियों ने अंतिम देयक के भुगतान को करने के निर्देश देते हुए संविदाकार को चेताया कि पंजीयन भले ही निलंबित हो गया है लेकिन अंतिम देयक के स्वत्व हासिल होते ही पांच वर्ष की अवधि तक मेंटीनेंस का काम संविदा कम्पनी को देखना होगा। ऐसा न करने पर संविदाकार पर कठोर कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। कई जांच रिपोर्टों के आधार पर उच्चाधिकारियों ने माना है कि हवाई पट्टी की निर्माण बेहद घटिया किस्म का किया गया है। जिसके चलते रनवे एवं अन्य भागों का 60 से 70 फीसदी क्षरण हुआ है। घटिया निर्माण के चलते हवाई पट्टी की चौड़ासिटी बढ़ी है जिससे हवाई पट्टी बारिश का खूब पानी पीकर भीतर ही भीतर क्षारित हो रही है जो वायु सेना के लिए बेहद खतरनाक है। अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि संविदाकार गारंटी एवं सिक्योरिटी डिपो. जिट मद में संविदाकार को 71.47 लाख रुपए में से परफारमेंस गारंटी, अतिरिक्त परफारमेंस गारंटी एवं सिक्योरिटी डिपो. जिट मद में संविदाकार को 71.47 लाख रुपए जमा करा शेष राशि का भुगतान किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि संविदाकार 19 मई 2025 तक हवाई पट्टी के मेंटीनेंस का कार्य करेगा।

रबी विपणन सत्र 2022-23 में अब तक 11 राज्यों से 161.95 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया

नई दिल्ली । रबी विपणन सत्र 2022-23 के लिए केंद्रीय पूल के तहत गेहूं की खरीद मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में की जा रही है। दिनांक 01.05.2022 तक 161.95 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जिससे 14.70 लाख किसानों को 32,633.71 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त हुआ है। खरीफ विपणन सत्र 2021-22 के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से केंद्रीय पूल के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद सुचारू रूप से की जा रही है। खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में 01.05.2022 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 760.94 लाख मीट्रिक टन धान (खरीफ फसल का 751.49 लाख मीट्रिक टन और रबी फसल का 9.45 लाख मीट्रिक टन इसमें शामिल है) की खरीद की जा चुकी है। अब तक लगभग 109.58 लाख किसान 1,49,144.23 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित हो चुके हैं।

नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री ने सफलतापूर्वक काम करना शुरू किया

नई दिल्ली । नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री (एनओएआर) ने 1 मई 2022 से सफ. लतापूर्वक काम करना शुरू कर दिया है। एनओएआर को एक एकीकृत सिंगल विंडो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया है, जो अल्पकालिक खुली पहुंच वाली एप्लीकेशन की इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग के लिए ओपन एक्सेस प्रतिभागियों, व्यापारियों, पावर एक्सचेंजों, राष्ट्रीय / क्षेत्रीय / राज्य लोड डिस्पैच केन्द्रों सहित सभी हितधारकों के लिए उपलब्ध है। इसके कारण अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली में अल्पकालिक खुली पहुंच की व्यवस्था को स्वचालित किया जा सकता है।

एनओएआर प्लेटफॉर्म आरएलडीसी या एसएलडीसी द्वारा जारी स्थायी मंजूरी और खुली पहुंच वाले ग्राहकों को अल्पका. लिक खुली पहुंच प्रदान करने तथा हितधारकों को इस तरह की सूचनाएं उपलब्ध कराने सहित अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन में अल्पकालिक ओपन एक्सेस से जुड़ी सूचनाओं के भंडार के रूप में कार्य करेगा। हितधारकों को ऑनलाइन भुगतान करने के लिए प्रदान किया गया भुगतान मार्ग और एनओएआर के साथ एकीकृत वित्तीय लेखांकन और अल. पकालिक ओपन एक्सेस लेनदेन पर नजर रखने की सुविधा प्रदान करेगा। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (पोस्को) द्वारा संचालित नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (एनएलडीसी) को एनओएआर के कार्यान्वयन और संच. ालन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। एनओएआर बि. जली बाजारों की तेजी से सुविधा और ग्रिड में अक्षय ऊर्जा (आरई) के एकीकरण को सक्षम करने में महत्वपूर्ण होगा। एनओएआर अल्पकालिक बिजली बाजार तक आसान और तेज पहुंच के साथ खुली पहुंच वाले उपभोक्ता द्वारा निर्बाध बाजार भागीदारी को सक्षम करेगा, जिसमें अखिल भारतीय मांग का लगभग 10 प्रतिशत शामिल है।एनओएआर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की पहल का हिस्सा है और सीईआरसी ने आवश्यक नियामक ढांचे को अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन में खुली पहुंच के 5वें संशोधन नियम के संचालन के माध्यम से अधिसूचित किया है।

तीन दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे

नई दिल्ली । केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया 5 से 7 मई, 2022 तक गुजरात के केवडिया में स्वास्थ्य चिंतन शिविर के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद (सीसीएचएफडब्ल्यू) के 14वें सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। यह परिषद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक शीर्ष परामर्शदात्री निकाय है। इस तीन दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रों से संबंधित नीतियों व कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा और आम लोगों के लाभ के लिए इन नीतियों/कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन के तरीकों और साधनों की सिफारिश करना है।

इस सम्मेलन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, उद्योग मंचों, स्टार्टअप्स और अकादमिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित वक्ताओं व विशेषज्ञों के साथ पैनल चर्चा होगी। साथ ही, हितधारकों के साथ संवादात्मक सत्रों का भी आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में नीतियों और कार्यक्रमों को समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए एक सहभागी दृष्टिकोण विकसित करने की दृष्टि से हितधारकों के साथ विस्तृत संवाद स्थापित करने के लिए सत्रों की योजना बनाई गई है। इसके सत्र कई विषय वस्तुओं पर केंद्रित होंगे। इनमें सभी के लिए सस्ता, सुलभ और एकसमान स्वास्थ्य सेवा, भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए भारत को तैयार करना, भारत में रोगमुक्त व भारत की ओर से रोगमुक्त, स्वस्थ भारत के लिए एक रोडमैप तैयार करना, स्वास्थ्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों को साझा करना और स्वस्थ राज्य, स्वस्थ राष्ट्र की अ

नवनीत राणा और विधायक पति को नहीं मिल पाई बेल, दो दिन और काटनी होगी जेल

मुंबई । मुंबई की सत्र न्यायालय ने सा. मवार को सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत याचिका को बुधवार तक के लिए टाल दिया है। राणा दंपत्ति को अगले दो दिन जेल में ही बिताने होंगे। राणा दंपत्ति पर दो समुदायों के बीच नफरत पैदा करने जैसे कई आरोप हैं। नवनीत राणा और उनके पति पर मातोश्री के सामने हन. मान चालीसा पढने का ऐलान कर रा. जनीति करने का आरोप है। आरोप है कि राणा दंपत्ति ने ये ऐलान इसलिए किया ताकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व की याद दिला सकें। सांसद नवनीत राणा फिलहाल भायखला स्थित महिला जेल में बंद हैं जबकि उनके विधायक पति

को नवी मुंबई स्थित तलोजा जेल में रखा गया है। राणा दंपत्ति की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अबद पोंडा और रिजवान मर्चेंट ने कोर्ट में पुलिस के दावों के खिलाफ दलील रखी कि उनके क्लाइंट की नफरत फैलाने की कोई मंशा नहीं थी। उन्हा. ंने कहा कि हर नागरिक को शांति. प्रिय ढंग से सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा पढने से हिंसा भड़कने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। पुलिस शिकायत का जिक्र करते हुए बचाव पक्ष ने कहा कि उनके क्लाइंट मातोश्री के सामने बिना अपने समर्थकों के साथ अकेले ही हनुमान चालीसा पढना चाहते थे। सरकार के खिलाफ हिंसा भड़काने की बात उनके सपनों में भी कभी नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ जमानत का विरोध कर रही पुलिस की तरफ से दलील दी गई कि राणा दंपत्ति ने धर्म के नाम पर हिंसा भड़काने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि इस बहाने राज्य में कानून- व्यवस्था बिगा. ड़कर राज्य की महा विकास अंगाड़ी सरकार को गिराने की साजिश रची गई थी।

Scanned by CamScanner